सं0-14/477/62-2-2014-14एम0आई0/97टी0सी0-III

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 मार्च,2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क बोरिंग तथा जनपद झॉसी, ललितपुर एवं चित्रकूट में जिला योजना (सामान्य एवं एस0सी0पी0) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में गहरी बोरिंग पर जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु आई0एस0कोड-14151 (पार्ट-2)/2008 के अन्तर्गत सहज संयोजी पालीएथिलीन पाइप, 90एम0एम0 नामिनल डायामीटर, 0.25 एम0पी0ए0(क्लाज-1) मय आवश्यक फिटिंग के क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-43/ल0सिं0/भ0आ0/एफ0बी0-एचडीपीई-90/2013-14, दिनांक 12-02-2014 एवं पत्र सं0-जी-47/ल0सिं0/भ0आ0/एफ0बी0-एचडीपीई-90/2013-14, दिनांक 28-02-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उघोग अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0पी0)/92, दिनांक 17-10-1994 एवं शासनादेश सं0-711/18-7-98-15(एस0पी0)/97, दिनांक 19-5-1998 में दी गयी व्यवस्थानुसार गठित क्रय समिति की संस्तुंति को ध्यान में रखते हुए महामहिम श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष

http://shasanadesh.up.nic.in

2013-14 में जिला योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क बोरिंग तथा जनपद झॉसी, ललितपुर एवं चित्रकूट में जिला योजना (सामान्य एवं एस0सी0पी0) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में गहरी बोरिंग पर जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु 8194 कृषकों के लिए 8194 सेट व 2,90,568 मीटर आई0एस0कोड-14151 (पार्ट-2)/2008 के अन्तर्गत सहज संयोजी पालीएथिलीन पाइप, 90एम0एम0 नामिनल डायामीटर, 0.25 एम0 पी0 ए0 (क्लाज-1) मय आवश्यक फिटिंग के क्रय, जिसका विवरण निम्नवत है, की अनुमति प्रदान करते है:-

S. No.	Description of Item	Required Qty. under available Budget
1	2	3
1-	ISI Marked 90mm Nominal diameter, 0.25 MPA (Class-I) Quick Coupled Polyethylene Pipe (HDPE Pipe) in length of 6.0 meter (± 0.01 meter) IS Code 14151(Part-2):2008 with latest amendments.	2,90,568 Meter
2-	One Set of ISI Marked fittings (one number 90^0 Bend, one number 90^0 Tee, one number Ends cap and one number pump connecting nipple) suitable to fit with above pipe IS Code 14151(Part-2):2008 with latest amendments,	8194 Set

2- उपलब्ध विवरण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि-

(i) प्रश्नगत क्रय सामग्री उघोग निदेशालय द्वारा निर्णीत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत् नही आता है।

(ii) क्रय आय-व्ययक मे उपलब्ध प्राविधान के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(iii) प्रस्तावित सामग्री के क्रय हेतु नियमानुसार टेण्डर मांगने के लिए शासनादेश सं0-ए-1-164/दस-15(1)'80, दिनांक 21-01-1997 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है।

(iv) क्रय के लिए आवश्यक मात्रा के टुकडे-टुकडे करके उसे उपर्युक्त वित्तीय सीमा के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

(v) संबंधित वस्तुओं के क्रय की वित्तीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा शासनादेश सं0-6080/62-2-2013-2/3(19)/2013,दिनांक 12-12-2013 एवं शासनादेश सं0-04/26-ब0प्र0-2014-2/3(30)/2013, दिनांक 03-01-2014 से प्रदान कर दी गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- सामग्री क्रय करते समय संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि-

(i) क्रय उपलब्ध धन की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा।

(ii) सामग्री का क्रय टेण्डर प्रपत्र में उल्लिखित निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(iii) टेण्डर डाक्यूमेन्ट में उल्लिखित सभी प्राविधान, फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के वैल्यूम-5, भाग-1 में उल्लिखित नियमों, टेण्डर संबंधी अन्य नियमों एवं शासनादेशों के अनुरूप है।

4- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई अपने स्तर से गहन अनुश्रवण कर उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

भवदीय,
ह0/
(अनन्त कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं0-477(1)/62-2-2014,तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, उघोग विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- सचिव, लघु उघोग अनुभाग'-7, उ0प्र0 शासन।
4- उघोग निदेशक, (सामग्री क्रय अनुभाग) उ0 प्र0 कानपुर।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in